भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 301

(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थी

301. डॉ. आनन्द कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री**

यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत बहराइच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चयनित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितने लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं और ऐसे लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ कब तक मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार बहराइच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों , जो किसी न किसी कारण से एनआईसी पोर्टल पर न होने के कारण पूर्व में पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत लाभों से वंचित थे, के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू

कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा सके। मार्च 2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2.95 करोड़ आवास लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं, जो कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्धारित समयसीमा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.08.2024 की अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण को मंजूरी दी। दिनांक 17.07.2025 तक, 4.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से, 4.12 करोड़ आवास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं , जिसमें से 3.84 करोड़ मकानों को स्वीकृत किया जा चुका है और 2.80 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

मंत्रालय राज्यों को लक्ष्य आवंटित करता है और ज़िलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को आगे लक्ष्य आवंटित करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच लोकसभा क्षेत्र में इस योजना की प्रगति इस प्रकार है:

(इकाई संख्या में)

राज्य द्वारा आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत मकान	निर्मित हो चुके मकान
1,41,656	1,41,656	1,40,978

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य (बहराइच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) के लिए मौजूदा एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल और आवास + 2018 सूची को संतृप्त कर दिया गया है।

भारत सरकार ने संशोधित बहिर्वेशित मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास + 2018 सूची को अद्यतन करने के लिए अभ्यास के संचालन को भी मंजूरी दे दी है।

पीएमएवाई-जी (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के लिए लाभार्थी डेटाबेस में शामिल करने के लिए आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके संभावित पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण 31 मार्च, 2025 की प्रारंभिक समय सीमा के साथ 27.12.2024 को शुरू हुआ था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा

करने की समय सीमा दो बार 30 अप्रैल, 2025 तक और 15 मई, 2025 तक बढ़ाई गई थी। राज्यों द्वारा न्यायोचित मांग के साथ किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए , कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समयसीमा 15 मई 2025 से आगे बढ़ा दिया गया है। परिवारों का विवरण दर्ज करने के लिए आवास+ 2024 विंडो अब बंद है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त स्व-सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि और सर्वेक्षण मामलों का सत्यापन कर रहे हैं। स्व-सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि और सर्वेक्षण मामलों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31.07.2025 है।

(ग) और (घ) तकनीकी समस्या का समाधान पहले ही कर लिया गया है और आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के आंकड़े प्रदर्शित कर दिए गए हैं तथा सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

*****